भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2012

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

कुल कार्यबल मे महिलाओं और दिव्यांगजनों का अनुपात

2012 श्री संजीव अरोड़ा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल कार्यबल में महिलाओं और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का अनुपात कितना है और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गईं किन्ही विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), मनरेगा और रोजगार संबंधी अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं और दिव्यांग लाभाथियों की संख्या कितनी है और कार्यक्रम पूरा होने के बाद उनके रोजगार परिणाम क्या रहे; और

(ग) क्या सरकार की अधिक समावेशी श्रम बाजार का सृजन करने के लिए कोई नई नीति बनाने या इस संबंध में प्रोत्साहन देने की योजना है और महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के समावेशन के लिए डेटा-आधारित लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार का संकेतक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 22.0% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।

सरकार ने मार्च 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल संवर्धन के माध्यम से उन्हें लाभकारी रोजगार पाने और आत्मनिर्भर, योग्य तथा समाज के योगदानकर्ता बनने और स्वतंत्र होने में सक्षम बनाना है। एनएपी-एसडीपी योजना के शुभारंभ के बाद से, देश भर में अब तक 1.42 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए 24 राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र (पूर्ववर्ती दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र) स्थापित किए हैं। ये केंद्र व्यावसायिक मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श, अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र आउटरीच कार्य-कलाप भी संचालित करते हैं, तथा व्यावसायिक पुनर्वास की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की सहायता करते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को शार्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए हैं तथा आरपीएल में उम्मीदवारों में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणन की प्रक्रिया शामिल है। पीएमकेवीवाई योजना के तहत, 31.10.2024 तक 1.57 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में यह अनिवार्य किया गया है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की भागीदारी की दर 2019-20 में 54.79% से बढ़कर 2023-24 में 58.89% हो गई है।

सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान जैसे मातृत्व अवकाश, लचीले कार्य घंटे, समान वेतन आदि शामिल किए हैं।

महिलाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि जैसे उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिला श्रमिकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। बजट में अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों के अलावा, उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्रेच स्थापित करने की भी घोषणा की गई।

***